–:: न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.) ::–

(समक्ष :– संजीव श्रीवास्तव)

फाईलिंग नम्बर	4038 / 2023
सीएनआर. नम्बर	32010048182023
क्रि0 रिवीजन नं0	79 / 2023

1. राजु उर्फ राजेन्द्र दीक्षित पुत्र श्री हरिमोहन दीक्षित आयु 45 वर्ष व्यवसाय सेवा पूजा
2. ध्यानेन्द्र दीक्षित उर्फ मोहित दीक्षित पुत्र श्री हरिमोहन दीक्षित आयु 28 वर्ष व्यवसाय वकालत

निवासीगण दांतरे की नरिया, दतिया जिला दतिया (म.प्र.)

.....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती निशा सेन पत्नी श्री देवेश सेन आयु 35 वर्ष व्यवसाय गृह कार्य निवासी दांतरे की नरिया, दतिया (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना कोतवाली दतिया (म.प्र.)

....प्रत्यर्थीगण

तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया (डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक आर.सी.टी.क्रमांक 72 / 2018 श्रीमती निशा सेन बनाम राजू आदि में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 से व्युत्पन्न आपराधिक पुनरीक्षण

/ / आदेश / /

(आज दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को पारित)

1. धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षणकर्तागण / अभियुक्तगण ने यह पुनरीक्षण याचिका तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया, जिला दतिया (डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम) द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 72 / 2018 श्रीमती निशा सेन विरूद्ध राजू में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता / अभियुक्त मोहित दीक्षित के विरूद्ध धारा 354, 323, 506 भाग–दो भा.दं.सं. एवं पुनरीक्षणकर्ता / अभियुक्त राजू दीक्षित के विरूद्ध धारा 323 एवं 506 भाग–दो भा.दं.सं. के तहत बाद जांच, संज्ञान लेते हुए उनके विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किये जाने का आदेश दिया है।

2. सुविधा की दृष्टि से आगे की कण्डिकाओं में पुनरीक्षणकर्तागण को अभियुक्तगण एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 को परिवादी एवं प्रति पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 2 को अभियोजन के रूप में संबोधित किया जावेगा।

3. इस पुनरीक्षण याचिका को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, कि परिवादी द्वारा अभियुक्त ध्यानेन्द्र दीक्षित उर्फ मोहित दीक्षित द्वारा परिवादी को देखकर अश्लील हरकते इत्यादि किये जाने के आक्षेप लगाते हुए, इस आशय का परिवाद प्रस्तत किया, कि दिनांक 4.6.2016 को परिवादी अपनी जेठानी मीरा सेन, अनीता सेन व कल्पना सेन के साथ वट पूजा करने के लिए जा रही थी, तभी अभियुक्त मोहित पीछे से आया और परिवादी का हाथ पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचकर अश्लील हरकतें करने लगा, चिल्लाने पर मौके पर उपस्थित मोहल्ले के आसिफ खान एवं उसकी जिठानियों ने घटना देखी। अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की गयी तो वह भाग गया। परिवादी ने पूजा करने के बाद अभियुक्त मोहित के उक्त कृत्य के संबंध में उसके घर जाकर उसके बड़े भाई अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र से शिकायत की, तो अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र, अभियुक्त मोहित को साथ लेकर आया व दोनों ने उसके साथ डण्डे से मारपीट की तथा अश्लील गालियां दी तथा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट से परिवादी को चोटें आयीं। उक्त घटना के तत्काल बाद परिवादी थाना कोतवाली रिपोर्ट करने गयी तो पुलिस ने की गयी घटना न लिखते हुए केवल डण्डा मारने वाली बात रिपोर्ट में लेख करते हुए कोई कार्यवाही नहीं की और न ही उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर परिवादी ने पुलिस अधीक्षक दतिया को लेखी शिकायत की, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

4. परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 354, 323, 294, 506 भाग–दो भा.दं.सं. के तहत संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये परिवाद पर से बाद जांच विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 30.01.2018 को आदेश पारित करते हुए पैरा–1 में उल्लेख अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लेकर मामला पंजीबद्ध किये जाने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर अभियुक्तगण द्वारा पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

5. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में वर्णित बातों की पुनरावृत्ति करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिये जाने बावत आदेश में विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रकट किया है कि परिवादी द्वारा धारा 155 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में अभियुक्त मोहित उर्फ ध्यानेन्द्र द्वारा परिवादी का हाथ पकडकर अश्लील हरकतें किये जाने और अपनी ओर खींचने का उल्लेख नहीं है, उक्त रिपोर्ट में उल्लेख अनुसार जब परिवादी अपनी जिठानी मीरा सेन, अनीता सेन एवं कल्पना सेन के साथ वट वृक्ष बाग वाली माता मंदिर जा रही थी, तभी रास्ते में मोहित दीक्षित एवं राजेन्द्र दीक्षित पूर्व रंजिश के कारण गाली–गलौच करने लगे। प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्य एवं धारा 155 दण्ड प्रक्रिया सहिता की रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्य एक–दूसरे के विपरीत है। परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करना बताये गये आवेदन दिनांक 20.6.2016 में आवक नम्बर तथा उक्त आवेदन किसके द्वारा प्राप्त किया गया, का उल्लेख न होने से यह प्रमाणित नहीं है कि परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उक्त आशय की शिकायत प्रस्तुत की गयी। वास्तविकता यह है कि दिनांक 15.6.2016 को गोपाल सेन,

आकाश उर्फ गोलू सेन, रामसहाय सेन एवं दिनेश सेन ने मिलकर पुनरीक्षणकर्ता की मां रामकली दीक्षित एवं पुनरीक्षणकर्ता की गंभीर रूप से मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट पुनरीक्षणकर्ता की मां द्वारा की गयी, जिस पर से उक्त सभी के विरूद्ध धारा 323, 504, 34, 325 भा.द.स. के तहत पंजीबद्ध मामले में न्यायालय द्वारा दिनांक 11.9.2023 को निर्णय पारित करते हुए उक्त सभी को धारा 323/34 एवं 325/34 भा.द.स. के तहत दोषी ठहराते हुए दण्डादिष्ट किया है। उक्त रामकली द्वारा की गयी रिपोर्ट से बचने के लिए उक्त घटना के पश्चात परिवादी द्वारा पुलिस में असत्य रिपोर्ट की गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार न करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर त्रुटि की है। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित पुनरीक्षणाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जावे।

6. राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित पुनरीक्षणाधीन आदेश किसी विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि से ग्रसित न होना प्रकट करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया है और ऐसा ही तर्क परिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

7. उभय पक्ष के तर्क पर विचार किया गया, पुनरीक्षणाधीन आदेश सहित विचारण न्यायालय के आदेश का परिशीलन किया गया।

8. इस पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु अवधार्य प्रश्न यह है किः—

(1) क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.01.2018 किसी गलती, अवैधता या अनौचित्यता से ग्रसित होकर हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?

9. प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा परिवादी निशा सेन एवं अन्य साक्षीगण मीरा सेन तथा आरिफ खान के कथन सहित प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। परिवादी निशा सेन ने परिवाद में वर्णित बातों का समर्थन करते हुए घटना के समय बरगद की पूजा के लिए जाते समय अभियुक्त मोहित दीक्षित द्वारा उसका हाथ पकड़कर खींचना व अश्लील हरकतें करना और बरगद की पूजा कर वापस लौटते समय उसके द्वारा अभियुक्त मोहित के घर जाकर उसके बड़े भाई से शिकायत किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ डण्डे से मारपीट किये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने तथा मां—बहन की गालियां दिये जाने का वक्तव्य दिया है और उसकी उक्त साक्ष्य का उसकी जेठानी मीरा सेन द्वारा समर्थन किया है। परिवादी की ओर से परीक्षित आरिफ खान ने अपने कथन में परिवादी के वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जाते समय अभियुक्त मोहित द्वारा उसका हाथ पकड़ना और फिर उसका परिवादी के परिवार के साथ मोहित के घर जाने पर मोहित के भाई द्वारा रिपोर्ट डालने पर जान से मारने की धमकी देने का वक्तव्य दिया है।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अनुसार यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर (यदि कोई हो), और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट की

यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।

11. यह उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत परिवादी एवं साक्षियों के कथन व जांच व अन्वेषण (यदि कोई हो) के आधार पर मजिस्ट्रेट को यह राय बनानी है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, संज्ञान की अवस्था पर मामले के गुण–दोष पर विचार नहीं किया जाना है। अभियुक्तगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका में उठाये गये आधार व तत्संबंध में प्रस्तुत तर्क गुण–दोष की विषय–वस्तु हैं। प्रस्तुत परिवाद एवं साक्षियों के कथन के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त मोहित दीक्षित के विरुद्ध धारा 354, 323, 506 भाग–दो भा.दं. सं. एवं पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त राजू दीक्षित के विरुद्ध धारा 323 एवं 506 भाग–दो भा.दं.सं. के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु पर्याप्त आधार हैं।

12. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त मोहित दीक्षित के विरुद्ध धारा 354, 323, 506 भाग–दो भा.दं.सं. एवं पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त राजू दीक्षित के विरुद्ध धारा 323 एवं 506 भाग–दो भा.दं.सं. के तहत संज्ञान लिये जाने बावत आदेश किसी गलती, त्रुटि या अवैधता से ग्रसित नहीं है।

13. फलतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

14. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे।

स्थानः दतिया
दिनांक 25.10.2023

हस्ता./–
(संजीव श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश दतिया
(मध्य–प्रदेश)